>

Title: Need to provide appropriate price to cotton farmers for their produce.

**श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली):** आज मैं इस सदन में उनके लिए आवाज उठाने जा रहा हूं उन किसान भाइयों के लिए आवाज उठा रहा हूं जिन्होंने आज हमारे देश कि हरियाली की शान बनाए रखने के लिए और यहां की अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगनदान दिया है। ...(व्यवधान)

महोदया, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज पूरे देश में किसान की जो हालत बनी हुई है वह उनकी सहन शक्ति से बाहर है। जिन किसानों ने कॉटन जैसे फसल अपने खून-पसीने बहा कर उपजाए और आज कॉटन को खरीदने के लिए मंडी में कोई खरीददार नहीं है। जो किसान दूसरे की भूख मिटाने का काम करता था आज वही किसान भूखे मर रहे हैं। आज जो किसानों की स्थिति है यदि वह वैसे ही रही तो उन्हें आत्महत्या करने के शिवाय और कोई चारा नहीं है।...(व्यवधान)

महोदया, एक समय हमारा देश कृषियों और ऋषियों का देश कहलता था लेकिन आज वही सरकार अपने ही देश के किसानों का हत्यारा कहला रही है। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Let him speak. He is speaking on a 'Zero Hour' issue.

**श्री नारनभाई कछाड़िया:** मजदूर से लेकर मिल के मालिकों तक, संत से लेकर साहूकार तक, राजाओं से लेकर रंक तक और सरपंच से लेकर संसद तक सभी को गांव के किसानों, मजदूरों एवे छोटे-मोटे व्यापारियों एवं गांव में रहने वाले लोगों के लिए हर छोटे-बड़े समाज की आवश्यकता होती है और उन्हीं के वोट से मंत्री, सांसद और एम.एल.ए. बनते हैं।

महोदया, आज पूरे देश में जो कॉटन की खेती हो रही है, खासकर गुजरात में कॉटन का उत्पादन सबसे अच्छा हुआ है। किसान ने रात-दिन एक कर के काम किया है और अच्छे कपास का उत्पादन किया लेकिन आज इस कॉटन का सही दाम नहीं मिल रही है जिसके कारण पूरे गुजरात के किसान के हालात बहुत दयनीय हो गई है। आज किसानों की हालता इसलिए बिगड़ी है कि क्योंकि केन्द्र सरकान ने कॉटन का निकास बंद कर दिया। यह निकास किसके फायदे के लिए बंद किया यह सरकार और वाणिज्य मंत्रालय जानता है। कॉटन का निकास बंद करने से किसानों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जब बाद में कॉटन के निकास का परमिशन दिया तो इसे सरकार ने किसानों के प्रति एक एहसान जताया कि हमने काटन निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है लेकिन सच तो यह था कि इस निकास का प्रभाव मंडियों और कॉटन व्यापारियों में दिखाई नहीं दिया।

महोदया, सबसे चौकाने वाली बात तो यह है कि अब केन्द्र सरकार ने सी.सी.आई. के जरिए कॉटन खरीदना शुरू कर दिया है। जिस जिले में सी.सी.आई. के माध्यम से कॉटन खरीदी की गई वह कांग्रेस के बड़े नेताओं के जिनिंग थे और ए.पी.एम.सी. जिसके माध्यम से एक बड़ी मात्रा में 600 से 700 रूपये के भाव में, बीस किलो के भाव में कॉटन खरीदा की। लेकिन जहां एपीएमसी का कांग्रेस का प्रमुख बैठा है, वहीं यह खरीदी हुई और बाद में सीसीआई को 900 रुपये के हिसाब से कॉटन दे दिया गया। आज किसान इस सरकार की किसान विरोधी और जन विरोधी नीतियों की लपेट में आकर खेती छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस पलायन के लिए केन्द्र सरकार यानी यूपीए सरकार जिम्मेदार है। एक तरफ भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री बार-बार कहते थे कि भारत में दूसरी हरित क्रान्ति लाएंगे और दूसरी तरफ किसानों को न समय पर फर्टिलाइजर मिलता है, न बीज मिलते हैं और न ही किसी इफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है। बिजली, पानी, लोन इत्यादि की सुविधा भी नहीं मिल रही है।

हमारे पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किसानों की पानी जैसी समस्या को दूर करने के लिए देश में सभी नदियों को जोड़ने की योजना शुरू की थी। इस योजना के पूर्ण होने के बाद भारत में दूसरी हरित क्रान्ति आने वाली थी। लेकिन इस सरकार ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया क्योंकि उसे डर था कि यदि यह योजना सफल हो जाएगी तो पूरे देश में बीजेपी छा जाएगी। आज इसी पानी की असुविधा के कारण पूरे देश में दस सालों में दो लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। केन्द्र सरकार के आंकड़े बताते हैं और इस आत्महत्या के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। महोदया, इस तरह देश में एक भय सता रहा है कि अगर किसान खेती छोड़ देगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि महंगाई और बढ़ जाएगी और लोग अनाज के लिए भूखे मरेंगे। सबसे ज्यादा चिन्ता की बात यह है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। अगर यह टूट जाएगी तो हमारा देश भी बहुत बड़े संकट में आ जाएगा।

महोदया, मैं इस सदन में बैठे सभी सांसदों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि किसी न किसी तरह हम सब खेती से जुड़े हुए हैं। किसानों की समस्या को हम सबको साथ मिलकर हल करना चाहिए और इस देश के कॉटन उगाने वाले किसानों को बचाना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदया :** श्री हरिभाऊ जावले, आप अपने को इनके विषय के साथ सम्बद्ध कर लीजिए।

â€¦(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :**

डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी,

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण,

श्री अर्जुन राम मेघवाल,

श्री राजेन्द्र अग्रवाल और

श्री वीरेन्द्र कुमार अपने को श्री नारनभाई कछाड़िया के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

â€¦(व्यवधान)

**श्री हरिभाऊ जावले (रावेर):** अध्यक्ष महोदया,...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** मैंने बोल दिया है कि आप अपने को इनके विषय के साथ सम्बद्ध कर लीजिए। आपका यही मसला है।

â€¦(व्यवधान)

**श्री हरिभाऊ जावले:** आज जो मीटिंग हो रही है...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** इस तरह मत कीजिए। श्री पन्ना लाल पुनिया, आप बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप सब बैठ जाइए। पुनिया जी बहुत महत्वपूर्ण विषय उठा रहे हैं।

â€¦(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** उन्हें भी अपना विषय उठा लेने दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

**श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी):** महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।...(व्यवधान)

**श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग):** सरकार को इमीडिएट रिस्पांस देना चाहिए।...(व्यवधान) यह सरकार कुछ सुन नहीं रही है।...(व्यवधान)

**श्री पन्ना लाल पुनिया:** अनुसूचित जाति, जनजाति के कर्मचारियों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन में बाधा उत्पन्न हो रही है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** केवल पुनिया जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान)*

**श्री पन्ना लाल पुनिया:** यह सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप बैठ जाइए। पुनिया जी की बात सुन लीजिए।

â€¦(व्यवधान)

**श्री पन्ना लाल पुनिया:** शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के अधिकारी, कर्मचारियों के लिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन पहले से अनुमन्य थी। ऐसी भ्रान्ति है कि इसे रोका गया है।...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट से जो भ्रान्ति फैली है, उसका उल्लेख किया जाना अत्यन्त अनिवार्य है। इसकी पृष्ठभूमि में पहले बता दिया जाए कि सबसे पहले जब इंदिरा साहनी केस में 1992 में फैसला हुआ, उसमें कहा गया कि एससी, एसटी के मामलों में रिजर्वेशन इन प्रोमोशन एलाउड नहीं है।...(व्यवधान) पार्लियामैंट ने इसमें कंसीडर किया और 77वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें कहा गया कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, ठीक है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन तो दे सकती है, लेकिन प्रमोशन के साथ सीनियॉरिटी...(व्यवधान)